अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2016 अनवानी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रतनचंद निवासी –राकेश कुमार यूनिट 12 कोर्पस, एयर, एसपी सिग यूनि मार्फत 56 एपीओ न0 917612 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

06–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राकेश कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> राजस्थानल नहर/इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चक न0 9ए में मु0न0 283/458 की 25 (पच्चीस) बीघा भूमि के आवंटनधारी का नाम एवं उपरोक्त मुरब्बा संबंधि सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति उपलब्ध करवांए

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने प्रतिवेदन संख्या रिकार्ड/2016/110 दिनांक 18.03.16 के साथ अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में चक 9ए के मुरब्बा न0 283/458 की 25 बीघा भूमि आवंटन पत्रावली लब्दू बेवा खमेटू साकिन घमरूर तहसील देहरा जिला कांगडा की प्रतियां इस कार्यालय को तो प्रेषित की है किन्तु उक्त आवंटन पत्रावली की प्रतियां लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी गई है या नही? प्रतिवेदन में अंकित नही किया गया है किन्तु पत्र के नीचे नोट अंकित किया गया है कि पार्टी को सूचना भिजवाकर श्रीमानजी को सूचित कर दिया जावेगा। किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर इस कार्यालय को अवगत नही करवाया गया है। ऐसी अवस्था में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर